

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 38/2024(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO : 2024/36

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री रजनीकांत शर्मा पिता धनेशचन्द्र शर्मा ब्राह्मण विक्रेता मैसर्स ग्राण्ड भगवत रेस्टोरेन्ट गुरुनानक स्कूल के पिछे, अलका होटल के पास, शास्त्रि सर्कल उदयपुर। स्थाई पता 48 अभिनन्दन विहार बजरी मण्डी रोड, वैशाली नगर जयपुर मो.न. 9828471821
2. श्रीमती वन्दना भादविया पत्नी श्री नरेश भादविया मालिक मैसर्स ग्राण्ड भगवत रेस्टोरेन्ट गुरुनानक स्कूल के पिछे, अलका होटल के पास, शास्त्रि सर्कल उदयपुर।मो. 9602416604 ।

—विपक्षी

उपस्थित

1. श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. स्वयं विपक्षी संख्या 1।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011



निर्णय

दिनांक 31.07.2024

निर्णय का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसरण श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे 19.12.2023 को दोपहर 02.00 पी.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स ग्राण्ड भगवत रेस्टोरेन्ट गुरुनानक स्कूल के पिछे, अलका होटल के पास, शास्त्रि सर्कल उदयपुर पर पहुँचा, वहाँ विपक्षी श्री रजनीकांत शर्मा उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)



ग्राण्ड भगवत रेस्टोरेन्ट गुरुनानक स्कूल के पिछे, अलका होटल के पास, उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की रेस्टोरेन्ट पर खाना बनाकर खाना खिलोन का कार्य करता है। यहां एक फीजर मे स्टील की एक पतीले में करीब 6 किलोग्राम दही (पाश्च्युरीकृत टोन्ड दुध से निर्मित) रखा पाया। विक्रेता ने इसे आम जनता को बिक्री वास्ते रखा बताया। इसमें सबस्टैण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये दही में से नियमानुसार मिक्स कर 1 किलोग्राम दही वास्ते जाँच हेतु खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। क्रय शुदा दही की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 60रु. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा 1 किलोग्राम दही को विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में प्लास्टिक के 4 साफ, सूखे व खाली जारों मे बराबर मात्रा मे भरकर फार्मेलीन की 20 बूंद प्रत्येक जार में डालकर इनका मूँह ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक जार पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर ए.ए-2539 का एक-एक भाग प्रत्येक नमूनों के जार पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनों के जार पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/213 दिनांक 08.01.2024 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/1017/एक्ट/2023/1017 दिनांक 22.12.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना दही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx)के तहत सबस्टैण्डर्ड पाया गया क्योंकि Milk Fat 3.0% होना चाहिए था, कि


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)



जगह 2.05% पाया गया। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/214 दिनांक 08.01.2024 के तहत को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनों की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक मु.चि.अ./एफ.एस.एस.ए./2024/3701 दिनांक 19.06.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार हैं, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जुर्म स्वीकार कर कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय विक्रेता की रेस्टोरेन्ट पर खाना बनाकर खाना खिलाने का कार्य करता है। यहां एक फ्रीजर में स्टील की एक पत्तीले में करीब 6 किलोग्राम दही (पाश्च्युरीकृत टोन्ड दुध से निर्मित) रखा पाया। विक्रेता ने इसे आम जनता को बिक्री वास्ते रखा बताया। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये दही में से नियमानुसार मिक्स कर 1 किलोग्राम दही वास्ते जाँच हेतु खाली स्टील की भगोनी में वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया, क्योंकि **Milk Fat 3.0%** होना चाहिए था, कि जगह **2.05%** पाया गया।

मामले में यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे।


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 में सबस्टेण्डर्ड के मामलों में अधिकतम राशि 5,00,000/- शास्ति का प्रावधान अंकित है। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी आर्थिक दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

चूंकि प्रकरण में आरोपी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को कुल राशि ₹50,000/- रु अक्षरे रूपया पचास हजार मात्र के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थों का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह में आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।



(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)